

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-22 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. देवीदीन यादव पुत्र विफई नि० ग्राम नरसड़ा उमरी थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-169/23, 02. राजकुमार पुत्र रामसुमिरन नि० ग्राम बसंतपुर थाना परसपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-170/23, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

02. थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. ओमप्रकाश पाण्डेय पुत्र विश्वनाथ उर्फ ननकऊ उर्फ विश्वेश्वर पाण्डेय नि० ग्राम सुमेरपुर थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-256/23, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

03. थाना खोडारे पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. आसाराम पुत्र मोतीराम नि० ग्राम कैदराबाद केशवनगर ग्रन्ट पश्चिमी थाना खोडारे जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-92/23, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 21.05.2023

दहेज हत्या के 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कौड़िया पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर दहेज हत्या के 02 वांछित अभियुक्तों—01. मुस्लिम, 02. चांद अली को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्तों ने वादी मो० शहीद अहमद नि० ग्राम कोटिया मदारा थाना कौड़िया की बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित किया करते थे। जिससे पीड़िता द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया था। अभियुक्तगणों को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

01. मुस्लिम पुत्र चांद अली नि० सेहरियाकला थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।
02. चांद अली पुत्र बेचू नि० सेहरियाकला थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०स० 172/2023 धारा 498ए,304बी भा०द०वि० व 3/4 डी०पी० एक्ट थाना कौड़िया जनपद गोण्डा ।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

- उ०नि० अश्वनी कुमार दूबे मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 21.05.2023

नशीली गोलियों के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को० करनैलगंज पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर पुराना हॉस्पिटल कस्बा करनैलगंज से अभियुक्त सफीक अहमद को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 210 नशीली गोलिया अलप्राजोलम बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना करनैलगंज में एन०डी०पी०एस० ऐक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. सफीक अहमद पुत्र रफी अहमद नि० नई बाजार कस्बा थाना को० करनैलगंज जनपद गोण्डा।

पंजोकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—268/23, धारा 8/22 एन०डी०पी०एस० ऐक्ट थाना को० करनैलगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 210 नशीली गोलिया अलप्राजोलम।

गिरफ्तार कर्ता—

उ०नि० अंकित सिंह मय टीम।